उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु यात्री टैक्सी वाहन तथा भार वाहन दैनिक आधार पर आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यो हेतु **यात्री टैक्सी वाहन तथा भार वाहन दैनिक आधार** पर आपूर्ति किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी तथा नियम एंव शर्ते हेतु विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.uou.ac.in को देंखें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य–590.00 रू0 मात्र (जी0एस0टी0सहित)

धरोहर राशी – 25000.00 रू0मात्र

निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि– दिनांक 06.03.2020 अपरान्ह 05 बजे तक

निविदा खुलने की तिथि 07.03.2020 अपरान्ह 02 बजे

कुलसचिव
कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्ववि[illegible]
हल्द्वानी (नैनीताल)

विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु यात्री टैक्सी वाहन तथा भार वाहन दैनिक आधार पर आपूर्ति हेतु निविदा के नियम एंव शर्ते

01 निविदा 02 बिड सिस्टम के आधार पर प्रेषित करनी होगी। लिफाफा संख्या 01 में तकनीकी बिड तथा लिफाफा संख्या 02 में **वित्तीय** बिड होगी। जिसे शब्दों में भी लिखना होगा।

02 तकनीकी बिड में सफल होने वाली फर्म की ही **वित्तीय** बिड खोली जायेगी।

03 निविदा वि0वि0 द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

04 आपूर्तिकर्ता वाहनों का पंजीकरण परिवहन विभाग में व्यवसायिक कार्यो हेतु होना चाहियें। व्यक्तिगत अथवा निजी वाहन स्वीकार नही किये जायेगें।

05 फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन अनिवार्य है।

06 सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

07 फर्म के वाहन चालकों को पर्वतीय स्थानों में वाहन चलाने का अनुभव तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिये।

08 फर्म के पास स्वंय के स्वामित्व के कम से कम 03 छोटे लोड वाहन जैसे पिकअप तथा 05 टैक्सी वाहन अथवा समकक्ष या वाहन अनुबंधित होना अनिवार्य है।

09 सफल निविदा दाता को विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किये जाने के 10 दिन के भीतर प्रतिभूति राशी जमा करनी होगी।

10 निविदा दाता फर्म किसी सरकारी संस्थान से ब्लैकलिस्टेड नही होनी चाहिये।

11 विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार टैक्सी तथा लोड वाहन की मॉग की जायेगी जिसको आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

12 यदि आपूर्तिकर्ता आवश्कतानुसार वाहनो की आपूर्ति करने में सक्षम नही होगा तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है एंव प्रतिभूति राशी भी जब्त की जा सकती है।

13 आपूर्तिकर्ता वाहनों की भौतिक स्थिति पूर्ण रूपेण परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है। पत्राचार में किसी प्रकार की कमी अथवा विधिक विवाद/चालान आदि होने का उत्तरदायित्व फर्म स्वामी/वाहन स्वामी का होगा।

14 किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।

15 चालक द्वारा अमर्यादित आचरण पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

16 वाहन के लिए प्रतिदिन 80 कि0मी0 की यात्रा न्यूनतम दूरी मान्य होगी।

17 विश्वविद्यालय द्वारा 15 दिवसों की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

18 निविदा दाता को तकनीकी बिड के साथ रू0 25000.00 रू0 मात्र की धरोहर राशी तथा 590.00 रू0 मूल्य के निविदा प्रपत्र मूल्य के रूप में 02 अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट/वि0वि0 रसीद संलग्न करने होंगे।

19 निविदा प्रपत्र मूल्य तथा धरोहर राशी के डिमांड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी" के नाम देय होगें।

20 अंतिम रूप से सफल निविदाकर्ता फर्म को वाहन आपूर्ति हेतु अनुबंध किये जाने से पूर्व 50000.00 (पचास हजार रू0 मात्र) की जमानत राशी वि0वि0 कोष में जमा करनी होगी जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी।

20 वाहन आपूर्तिकर्ता को फर्म लोड वाहन तथा यात्री वाहन दोनो प्रकार के वाहनों के लिए निविदा में प्रतिभाग करना अनिवार्य है।

21 निविदा केवल **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक** के माध्यम से ही स्वीकार की जायेगी।

22 निर्धारित तिथि एंव समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा।

23 निविदा "कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मार्ग नियर टी0पी0नगर हल्द्वानी 263139 जिला नैनीताल" के नाम से प्रेषित किया जाना होगा। लिफाफे के उपर बड़े अक्षरों में वाहन आपूर्ति किये जाने हेतु निविदा लिखा होना चाहिये।

24 यात्रा के दौरान वाहन में तकनीकी खराबी या अन्य किसी कारण से वाहन खराब होने अथवा दुर्घटना की स्थिति में फर्म को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

25 समय पर वाहन आपूर्ति न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर किराये में आने वाले अतंर का भुगतान अनुबंधित फर्म को किये जाने वाले भुगतान से समायोजित किया जायेगा।

26 कार्य गणना वाहन द्वारा तय की गयी दूरी विश्वविद्यालय परिसर से प्रारम्भ मानी जायेगी तथा यात्रा समाप्ति पर विश्वविद्यालय परिसर में मान्य होगी।

27 वाहन .का मेक वर्ष 2015 से पुराना नही होना चाहिये

28 निविदा की प्राप्त होने की तिथि को अवकाश होने की दशा में अगले कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा, तद्नुसार निविदा खोली जायेगी।

29 निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

30 विश्वविद्यालय अलग अलग खंडों के लिए दरों एंव गुणवत्ता के आधार पर सहमत एक या एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का चयन कर सूचीबद्ध कर सकता है।

31 निविदा प्रपत्र में दरों को अंको तथा शब्दों में अंकित करना आवश्यक है। किसी भी विसंगति की दशा में शब्दों में अंकित राशी को ही अंतिम माना जायेगा।

32 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर तथा मोहर आवश्यक है।

33 सफल निविदाताओं से विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध किया जायेगा।

34 किसी भी विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र हल्द्वानी जनपद नैनीताल होगा।

लिफाफा 01

तकनीकी बिड

क्रम संख्या	विवरण	हॉ/ नही	संलग्नों की संख्या
01	जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
02	पेन कार्ड संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
03	धरोहर राशी रू0 25000.00 डी0डी0 न0................................. दिनांक.. बैक का नाम...............................		
04	निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590.00 डी0डी0 न0................................. दिनांक... बैक का नाम...............................		
05	फर्म के पास वाहनों की न्यूनतम संख्या......... वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न हार्स पावर के विवरण सहित		
06	फर्म सरकारी संस्थान में प्रतिबंधित है/ नही		

मै लिखित रूप से सहमति देता हूँ कि निविदा की सभी शर्ते एंव नियम मुझे मान्य है। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सारी सूचनाये सत्य है किसी भी प्रकार की कोई सूचना असत्य होने की दशा में विश्वविद्यालय मेरी धरोहर राशी जब्त कर सकता है तथा अनुबंध समाप्त कर सकता है।

निविदा दाता फर्म का नाम

प्रोपराईटर का नाम

मोबाईल न0

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एंव मोहर

लिफाफा 02

वित्तीय बिड

कृपया निम्न तालिका के अनुसार दरें (जी0एस0टी0 रहित) प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि0मी0		रात्री विश्राम दर	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
01	टाटा लोडर / पिकअप अथवा समकक्ष वाहन न्यूनतम 2500 सी0सी0				
02	आयशर ट्रक, माजदा अथवा अन्य समकक्ष वाहन				
03	इनोवा / टवेरा अथवा समकक्ष टैक्सी परमिट वाहन				
03	बुलेरों / स्कॉपियों अथवा समकक्ष टैक्सी परमिट वाहन				
04	स्वीफट / आल्टो / वैगनआर अथवा समकक्ष टैक्सी परमिट वाहन				

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि / प्रोपराईटर के हस्ताक्षर एंव मोहर

फर्म का नाम

प्रोपराईटर का नाम

सर्म्पक न0